

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरों क्षेत्रीय खान नियत्रंक का कार्यालय पोस्ट-फार्टोडा, मडगाँव, दक्षिण गोआ 403602

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES P.O. Fatorda, Madgao, South Goa – 403602

दिनाक : 17-12-2014

संख्या: महा / कोल्हा / बाक्साइट – 16 / गोवा

खानकोड 07MSH13016

सेवामें

श्री श्रीकृष्णा अन्नत पंडितराव, खान मालिक, पंडितराव माइन्स एंड मिनरल्स प्रा. लि., आर. एस. न. 747, ए-वार्ड, बी-1 वसन्त विश्वास पार्क, कोल्हापुर 416007

विषय: महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले के भूदरगढ तालुका में स्थित आपकी मिनचे बुदरूक बाक्साइट खान 98.00 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10.12.2014 को श्री एम. पी. बाउसकर, निर्देशक और श्री एस. एन. गडे, खान प्रबन्धक की उपस्थिती में उपरोक्त खान का निरीक्षण किया गया था और खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली, 1988 के निम्निलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया है।

	या गया था और खोनेज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के निम्निलेखित नियमी का उल्लंघन पाया गया है।
नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
नियम 13(1)	The mining operations in the lease area are not carried out as per scheme of mining approved vide letter No. MS/KLP/Goa(MAH)/Bx-92-SZ dated 24.06.2014 and following deviations are observed during inspection. a) It was proposed in Para 5.3 for 285776t insitu bauxite production i.e. 104448t, 50960t, 130368t from Pit-1, 2 & 3 respectively along with 100000t from float ore working and 50000t from subgrade stacks to achieve total production of 435776t during 2013-14. It was observed during inspection of mine that achieved production reported in AR 2013-14 was 547525t from insitu working only, which is more than 41% of the total target of production during the year. b) It was proposed in Para 5.3 & Plate-7A to develop & advance western face of Pit-1, north-eastern face of pit-2 and SE face of Pit-2 & north face of Pit-3 for insitu bauxite production. It was observed during inspection of mine that advancement on western face in Pit-1 is more than planned, negligible advancement in Pit-2 & Pit-3 and development of separate Pit-4 towards NE side of Pit-3. It is further observed during inspection of mine that there is no possibility of 60m advancement on eastern face of Pit-2 for insitu bauxite mining as per proposals given for 2013-14 to 2017-18. Maximum 10-15m advancement on eastern face of Pit-2 is possible for insitu bauxite mining. There is negligible float ore bauxite mining during the year 2013-14 as
	proposed near old screen plant and no float ore bauxite mining during the current year 2014-15.
	c) It was proposed in Para 9.0 & Plate-10 to carry out affoestation of 10000 plants during 2014-15 over 10.92ha mined out area of the year 2013-14. It is observed during inspection of mine
	that afforestation over mined out area of Pit-1 not started as on date, although more development than proposal is there in Pit-1. Afforestation as per proposal over mined out area of Pit-2 is not there due to reasons given above in (b) for negligible advancement in Pit-2.

- 02. इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध हैं।
- 03. उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(2) के अन्तर्गत खान में सभी खनन संक्रियाए बन्द की जा सकती है।
- 04. अत: आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एंव इसके सुधार की स्थिती की जानकारी इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(गिरीश कुमार जांगिड) उप खान नियत्रंक

प्रतिलिपी सूचनार्थ: 1. खान नियत्रंक (द. आ.) भारतीय खान ब्यूरों, बैगलूरू 2. उप निर्देशक, भूविज्ञान एव खान विभाग, नागलापार्क, कोल्हापुर- 416003

> (गिरीश कुमार जांगिड) उप खान नियत्रंक